न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

## पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

**पत्रावली संख्या : 59/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.**

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड, रजिस्टर्ड पताः– 102 कंचन अपार्टमेंट अपोजिट एल. बी.एस. कॉलेज, तिलक नगर, जयपुर, शाखा कार्यालय अजीतगढ़, सीकर (राज.)।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

**बनाम**

1. छितरमल सैनी पुत्र गणपत राम सैनी, (ऋणी)
पताः– वार्ड नम्बर 12, मालियों का मौहल्ला, दिवराला, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान– 332701।
दूसरा पता– 250, डेल्डा, दिवराला, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज. 332701।

2. गणपत राम सैनी पुत्र छोटुराम सैनी (सहऋणी / बंधककर्ता)
पताः– वार्ड नम्बर 12, मालियों का मौहल्ला, दिवराला, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान– 332701।

3. फालु राम सैनी पुत्र गणपत राम सैनी, (सहऋणी)
पताः– 448, माली मौहल्ला, वार्ड नम्बर 12, दिवराला, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान– 332701।

4. राम बाबू पुत्र देवी लाल शर्मा , (जमानती)
पताः– महल बालों की गली, वार्ड नम्बर 4, दिवराला, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान– 332701।

अप्रार्थीगण

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**

**निर्णय**

निर्णय दिनांकः 30 अक्टूबर, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **महेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **छितरमल सैनी, गणपत राम सैनी, फालु राम सैनी** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **गणपत राम सैनी पुत्र छोटु राम सैनी की सम्पति जो ग्राम दिवराला में प्लॉट, ग्राम पंचायत दिवराला, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर,तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जिसकी माप 163.77**



(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

वर्गगज है। जिसकी चारों सीमाएं पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में आम रास्ता व भागीरथ कुम्हार का घर, उत्तर में हरनाथ सिंह जी का नोहरा, दक्षिण में सार्वजनिक चौक एवं रास्ता स्थित है, को बंधक रखकर 7,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये सात लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 08.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये एवं स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 08.06.2019 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **छितरमल सैनी, गणपत राम सैनी, फालु राम सैनी** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **गणपत राम सैनी पुत्र छोटु राम सैनी की सम्पति जो ग्राम दिवराला में प्लॉट, ग्राम पंचायत दिवराला, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर,तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जिसकी माप 163.77** वर्गगज है। **जिसकी चारों सीमाएं पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में आम रास्ता व भागीरथ कुम्हार का घर, उत्तर में हरनाथ सिंह जी का नोहरा, दक्षिण में सार्वजनिक चौक एवं रास्ता स्थित है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 30 **अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/10/19

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

**(यज्ञ मित्र सिंहदेव)**
**जिला कलक्टर**
**सीकर (राज.)**



Scanned by CamScanner